न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

अपील संख्या — 1/2017

अपीलांट्स — बनाम — रेस्पोडेन्ट्स

1.श्रीमति वदू पुत्री मन्ना,पत्नि सोनाजी,जाति कलबी,निवासी नांदिया के कायम मुकामः—
1/1.ओखा पुत्र सोनाजी,
2.श्रीमति अणसी पुत्री सोनाजी, पत्नि भीमाजी,जाति कलबी, निवासी नांदिया,तहसील बागोडा, जिला जालोर
3.श्रीमति केसी पुत्री सोनाजी, पत्नि नरसाजी,जाति कलबी, निवासी धूडिया,तहसील गुडामालानी,जिला बाडमेर।
4.श्रीमति हुआ पुत्री सोनाजी, पत्नि अजाजी,जाति कलबी, निवासी आलवाडा के कायम मुकामः—
4/1.जामताराम पुत्र अजाजी,
4/2.गलबाराम पुत्र अजाजी, जाति कलबी, निवासी आलवाडा, तहसील सायला, जिला जालोर

1.मुरारदान पुत्र आईदानजी जाति चारण, निवासी नांदिया,तहसील बागोडा,जिला जालोर
2.तहसीलदार बागोडा
3.भीमाराम पुत्र हटारामजी,जाति कलबी, निवासी नांदिया,तहसील बागोडा, जिला जालोर

विरूद्ध आदेश तहसीलदार बागोडा,दिनांक 8.2.2016
(वसीयत जांच एवं ना.क.प्र.सं.1/2016)
व दिनांक 12.2.2016(ना.क.सं.1405)

उपस्थिति :—
1.श्री नीखिल दवे,अभिभाषक, अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री शम्भूदान आसिया,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 व 3 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

निर्णय दिनांक 1.7.2019

1. यह अपील श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई जिसमें अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट सं.1 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 के न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र दिनांक 11.1.2016 को इस आशय का पेश किया कि गिरधारी पुत्र पन्ना,जाति कलबी,निवासी नांदिया ने दिनांक 29.12.1991 को एक वसीयतनामा रेस्पोडेन्ट सं.1 के पक्ष में मौजा नांदिया के खसरा नम्बर 644 रकबा 43 बीघा 15 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 922 रकबा 6.72 हेक्टर के सबंध में निष्पादित किया है तथा गिरधारी की मृत्यु दिनांक 30.8.1993 को हो चुकी है, इस कारण उक्त आराजी का म्युटेशन रेस्पोडेन्ट सं.1 के नाम भरा जाकर स्वीकार करावे जिस पर जांच एवं म्युटेशन प्रकरण सं. 1/2016, मुरारदान बनाम राज्य सरकार के नाम से दर्ज किया गया , तत्पश्चात् दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में इश्तिहार जारी करने का आदेश पारित किया गया तथा गवाह मुरारदान, सरदाराराम के बयान लिये जाकर दिनांक 8.2.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित किया एवं उसकी पालना में म्युटेशन भरा जाकर स्वीकार किया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है। तमाम अपीलांट्स स्वर्गीय पन्ना के वारिस है,पन्ना की पुत्री हुआ का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान् अपीलांट–जामताराम व गलबाराम है। मौजा नांदिया के पूर्व खसरा नम्बर 644 रकबा 43 बीघा 15बिस्वा का मूल खातेदार पन्ना पुत्र अमरा था ,पन्ना का स्वर्गवास हुआ उस समय हिन्दू उत्तराधिकार प्रभाव में आ चुका था। पन्ना ने अपनी मृत्यु के समय अपने एक पुत्र–गिरधारी एवं पुत्री– श्रीमति वदु को प्रथम श्रेणी के वारिसान् के रूप में छोडा है, श्रीमति वदु का स्वर्गवास हो चुका है एवं श्रीमति वदु ने अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र अपीलांट–ओखा ,श्रीमति अणसी,श्रीमति केसी एवं स्वर्गीय हुआ ,कुल 3 पुत्रिया वारिसान् के रूप में छोडा था, श्रीमति हुआ ने अपनी मृत्यु के समय अपीलांट–जामताराम व गलबाराम को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत् प्रथम श्रेणी के वारिसान् के रूप में छोडा है। रेस्पोडेन्ट सं.1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में यह नही दर्शाया हैं कि दिनांक 29.12.1991 को स्वर्गीय गिरधारी द्वारा वसीयत किस समय व किस स्थान पर ,किनकी उपस्थिति में निष्पादित की है तथा गवाहान् वहां पर किस कदर उपस्थित हुए है, गवाह सरदाराराम हस्ताक्षर करता है,उसकी साख ईबारत भी टाईपसुदा है,वसीयतनामा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

किस प्रलेख लेखक द्वारा टाईप किया गया है, यह भी स्पष्ट रूप से प्रकट नही होता है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो बयान लिये गये है उसमें भी इन तथ्यों का पूर्ण रूप से अभाव है जिससे वसीयतनामा अत्यन्त संदिग्ध है,वसीयतनामा का स्टाम्प दिनांक 27.12.1991 को खरीद है,संदिग्ध वसीयतनामें की स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का दायित्व रेस्पोडेन्ट को सक्षम न्यायालय से वसीयतनामें के आधार पर प्रोबेट अथवा प्रशासन–पत्र प्राप्त करने का आदेश देने का था जो न देकर गलत तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर म्युटेशन जैर अपील स्वीकार किया है। म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व यह भी जांच नही की कि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय गिरधारी की स्वअर्जित है अथवा नही, क्योंकि वसीयतनामें में उक्त आराजी को गिरधारी की स्वअर्जित सम्पति बताया गया है जबकि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड से वादग्रस्त आराजी गिरधारी की स्वअर्जित न होकर उसे अपने पिता से प्राप्त हुई है तथा पिता की मृत्यु के साथ ही गिरधारी की बहन श्रीमति वदु का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित हो जाता है, वादग्रस्त आराजी का म्युटेशन सं.126 पन्ना की मृत्यु पर गिरधारी अकेले के नाम भरा गया है उसे भी अपीलांट पृथक से चुनौति सक्षम न्यायालय में दे रहे है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट सं.1 के ईशारे पर गलत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट से यह भी स्थिति प्रकट हैं कि पूर्व खसरा नम्बर 644 का खातेदार पन्ना पुत्र अमरा था,वास्तविक आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा सरासर गलत दर्शाया है। श्रीमति अणसी का मौके पर कब्जा है,एवं अणसी का पति भीमाजी काश्त की देखरेख करते हैं। दिनांक 18.12.2016 को रेस्पोडेन्ट ने जबरन भीमाजी के बेरे से पानी बन्द कराकर मांगाराम चौधरी के बेरे से सिचाई शुरू करा दी है व बताया कि यह जमीन उसके(रेस्पोडेन्ट) के नाम रैकर्ड में दर्ज है। मौका रिपोर्ट दिनांक 20.1.2016 पर मौतबिरान् के हस्ताक्षर उन्हे बहकावे में रखकर करवाए गये है, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत् यदि पुत्र या पुत्री की किसी व्यक्ति के जीवनकाल में मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के पश्चात् पूर्व मृत पुत्र व पुत्री के वारिसान् सम्पति में समान रूप से हक अधिकार रखते है। म्युटेशन जैर अपील की कार्यवाही ग्राम पंचायत में विचाराधीन नही थी, इसके विपरीत ग्राम पंचायत की बैठक में जांच मात्र इसलिये करवाई गई है कि रेस्पोडेन्ट सं.1 का पुत्र वर्तमान में ग्राम पंचायत नांदिया का उपसरपंच है तथा वर्तमान सरपंच ,रेस्पोडेन्ट सं.1 के प्रभाव में है। अधिनस्थ न्यायालय ने आम सूचना जो समाचार पत्र दैनिक नवज्योंति में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

साया करवाई गई है उसमें दिनांक 5.2.2016 को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कहा गया,परन्तु सुनवाई की तारीख 8.2.2016 को नियत की गई।वस्तुतः दैनिक नवज्योंति समाचार पत्र का संचालन नांदिया में होता ही नही है। रेस्पोडेन्ट मुरारदान द्वारा कभी भी गिरधारी की सेवा–चाकरी नही की गई। यहां तक कि जब रेस्पोडेन्ट के पास वसीयतनामा वर्ष 1991 से उपलब्ध था तो गिरधारी की मृत्यु प्रमाणपत्र लगभग 29 वर्ष बाद प्राप्त किया है, गिरधारी की माता का नाम भी धापूदेवी न होकर श्रीमति सजनादेवी था। पर्चा लगान सैटलमेन्ट विभाग द्वारा 1.7.89 से 2009 तक का गिरधारी के नाम जारी किया गया है उसमें वर्तमान खसरा नम्बर 922 का स्पष्ट उल्लेख है, इस कारण वसीयतनामा तथा कथित निष्पादित के रोज नये खसरा नम्बर अस्तित्व में आने के बावजूद वसीयतनामें में पुराने खसरा नम्बर का अंकन किया जाना ही वसीयत को प्रथम दृष्टया ही फर्जी होना प्रमाणित करता है। पर्चा लगान जो रि–सैटलमेन्ट के दौरान् जारी ,में गिरधारी के निशान अंगुष्ठ व वसीयतनामें में निशान अंगुष्ठ में अन्तर है।अपीलांट को अपीलाधीन आदेश व म्युटेशन जैर अपील की जानकारी कभी नही हुई क्योंकि मौके पर अपीलांट अणसी काबिज है,दिनांक 18.12.2016 को रेस्पोडेन्ट सं.1 वादग्रस्त आराजी पर आकर ओखा व श्रीमति अणसी को बेदखल करने धमकी दी कि राजस्व रेकर्ड में उसका नाम दर्ज है जिस पर अणसी ने भीनमाल जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 19.12.2016 को नकल मांगी जो दिनांक 20.12.2016को प्राप्त हुई। तहसील कार्यालय बागोडा व भू अभिलेख कार्यालय जालोर से नकले मिलने पर दिनांक 20.12.2016 को अपीलाधीन आदेश व म्युटेशन जैर अपील की जानकारी होने पर अपील पेश की है जो स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश व म्युटेशन जैर अपील निरस्त करावे,प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट वकील ने दिनांक 25.5.2017 को एक प्रार्थनापत्र बाबत् भीमाराम पुत्र हटाराम,जाति कलबी,निवासी नांदिया,तहसील बागोडा को रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया।बाद सुनवाई के दिनांक 7.9.2017 को भीमाराम को रेस्पोडेन्ट सं.3 के रूप में पक्षकार बनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

3. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का जवाब मय शपथपत्र रेस्पोडेन्ट सं.3-भीमाराम की ओर से दिनांक 22.3.2018 को पेश किया कि अपीलांट ओखाराम ने झूठे कथन व्यक्त कर कालबाधित अपील को अन्दर म्याद लाने हेतु गलत प्रार्थनापत्र पेश किया है । रेस्पोडेन्ट सं.1 ने दिनांक 18.12.2016 को आकर श्रीमति अणसी को कोई धमकी नही दी और न ही बेदखल करने की बात कही क्योंकि भूमि पर कब्जा शुरू से ही मुरारदान का हे जिसके कहने से काश्त करते है । अब भीमाराम ने यह जमीन मुरारदान से खरीद की है। अपीलांट ओखाराम का यह कहना कि श्रीमति अणसी ने भीनमाल जाकर अपने वकील से सम्पर्क किया और अपीलाधीन आदेश की नकले मांगी। अपीलाधीन आदेश की नकले दिनांक 20.12.2016 को मिल जाने के बाद दूसरे रोज अपील पेश की जानी चाहिये थी परन्तु अपीलांट ने बीस दिन बाद अपील दिनांक 9.1.17 को पेश की है तथा इस दिन प्रतिदिन को स्पष्ट नही किया है । अतः अपीलांट का प्रार्थनापत्र मनगढन्त व गलत कथनों पर आधारित होने से सव्यय खारिज करावे।

4. अपीलांट अणसीदेवी पुत्री सोनाजी पत्नि भीमाजी ने अपील विड्रोवल करने हेतु एक प्रार्थनापत्र दिनांक 25.5.18 को पेश किया कि प्रार्थीया को भी अपीलांट बताकर अपील पेश की गई है जबकि प्रार्थीया ने अपील पेश नही की है और न ही ऐसी अपील पेश करने की स्वीकृति दी है। गिरधारी पुत्र पन्ना व सोना पुत्र जगरूपजी के आपस में आटे-साटे का विवाह था,सोना ने अपनी बहन गिरधारी की पत्नि टीपू को गिरधारी के जीवित रहते हुए अन्य जगह चैनपुरा में नाते दे दी जिससे गिरधारी का फिर विवाह नाता नही हुआ तथा ताउम्र गांव में ही मुरारदानजी के पास रहा। सोनाराम व उसकी पत्नि वदु तथा गिरधारी के बीच कोई रिश्ता नही रहा तथा आपस में बोलचाल बंद हो गई। मौके पर जमीन का कब्जा पहले रेस्पोडेन्ट सं.1 मुरारदान का था तथा अब भीमाराम क है। रेस्पोडेन्ट सं.1 ने प्रार्थीया को कभी भी धमकी देकर बेदखल करने का नही कहा। अतः प्रार्थीया की अपील जरिये विड्रोवल खारिज करावे। चूंकि अपील में अपीलांट कुल 5 है जिसमें से केवल अपीलांट सं.2 ने ही विड्रोवल का प्रार्थनापत्र पेश किया है शेष यथावत् है। अतः न्याय हित में अपील जरिये विड्रोवल खारिज नही की जा सकती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई । अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि रेस्पोडेन्ट सं.1—श्री मुरारदान ने तहसीलदार बागोडा के न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र दिनांक 11.1.2016को पेश किया कि गिरधारी ने दिनांक 29.12.1991 को एक वसीयतनामा रेस्पोडेन्ट सं.1 —मुरारदान के पक्ष में मौजा नांदिया के पूर्व खसरा नम्बर 644रकबा 43 बीघा15 बिस्वा एवं वर्तमान खसरा नम्बर 922रकबा 6.72हेक्टर के सबंध में निष्पादित किया है, गिरधारी दिनांक 30.8.93को फौत हो चुका है, इस कारण उक्त आराजी का म्युटेशन उसके नाम से भरा जाकर स्वीकार किया जावे ,इस पर प्रकरण सं. 1/2016मुरारदान बनाम राज्य सरकार दर्ज कर दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में इश्तिहार जारी करने का आदेश पारित कर गवाह मुरारदान,सरदाराराम के बयान लिये जाकर दिनांक 8.2.2016 को आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश व म्युटेशन जैर अपील की जानकारी कभी नही हुई,दिनांक 18.12.16को रेस्पोडेन्ट सं.1ने बेदखल करने की धमकी देने के बाद अपीलांट ने दिनांक 19.12.2016 को अपीलाधीन की नकल मांगी जो दिनांक 20.12.16 को प्राप्त होने पर जानकारी होने पर दिनांक 9.1.17 को अपील पेश हुई। अतःअपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश व म्युटेशन जैर अपील निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 के वकील ने बहस में बताया कि अणसी को भी अपीलांट बताकर अपील की गई है जबकि अणसी ने अपील पेश नही की है। गिरधारी पुत्र पन्ना ,जाति कलबी,निवासी नांदिया व सोना पुत्र जगरूपजी जाति कलबी ,निवासी नांदिया के आपस में आटे—साटे का विवाह था ,सोना ने अपनी बहिन गिरधारी की पत्नि टीपू को गिरधारी के जीवित रहते अन्य जगह चैनपुरा में नाते दी,गिरधारी का फिर विवाह —नाता नही हुआ तथा ताउम्र मुरारदानजी के पास रहा। सोनाराम द्वारा गिरधारी की पत्नि को अन्यत्र नाता देने पर सोनाराम व उसकी पत्नि वदु तथा गिरधारी के बीच कोई रिश्ता नही रहा। मौके पर कब्जा पहले रेस्पोडेन्ट सं.1—मुरारदानजी का था तथा अब भीमाराम का है। गिरधारी ने अपनी आराजी की वसीयत रेस्पोडेन्ट सं.1को की गई है। रेस्पोडेन्ट सं.1 ने अणसी को कभी धमकी व बेदखल का नही कहा। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज करावे।

6. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार बागोडा द्वारा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

प्रकरण सं. 1/2016,अनवान–मुरारदान बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बागोडा, बाबत् वसीयत जांच एवं नामान्तरकरण आदेश, दिनांक 11.1.2016 को दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 8.2.2016 द्वारा वसीयत के आधार पर ग्राम नांदिया के नवीन खसरा नम्बर 922रकबा 6.72 हेक्टर भूमि को मुरारदान पुत्र आईदान कौम चारण ,साकिन नांदिया के नाम दर्ज करने का आदेश जारी किया ।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बागोडा द्वारा उक्त विवादास्पद नामान्तरकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2)के तहत् भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से पारित किया है जिसकी अपील कलेक्टर को नहीं होकर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय तुलसी बनाम परमेश्वर ,आर एल डब्लू 2004 आर जे 551 ; 2004आर आर डी 101;2004 आर बी जे 96 ; 2004(1) आर आर टी 380 के अनुसार निदेशक,भू राजस्व ,संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को होगी।

आदेश

अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल) 01/7/19
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

निर्णय,आज दिनांक 1.7.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल) 1/7/19
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर